न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी – पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 59/2009

1. मांगीलाल सैनी पुत्र परसादी लाल सैनी जाति सैनी निवासी राजावास हाल निवासी कैलाई तहसील सिकराय जिला दौसा

...प्रार्थी

बनाम

1. सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा।
2. भारतीय राष्ट्रीय राज्य मार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक पी.आई.यू. जयपुर एन.एच. 11 कार्यालय 165 गिरनार कॉलोनी वैशाली नगर जयपुर

...अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र वास्ते दिलाने मुआवजा अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थिति– 1: श्री विनोद कुमार विजय अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री दीपक शर्मा अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से
3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांकः 28.9.2021

संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि ग्राम कैलाई तहसील सिकराय में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 106 में से प्रार्थी के कब्जे व स्वामित्व की वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूमि को जयपुर–आगरा फोरलेन हेतु एक्वायर किया गया था। जिसमें प्रार्थी की कटर मशीन, पत्थर कटिंग मशीन लगी हुई थी व फाउण्डेशन बना हुआ था। होज व पक्की दीवार बनी हुई थी, टीनशेड लगा हुआ था व टयूबवैल लगा हुआ था। किन्तु अप्रार्थी ने प्रार्थी के कब्जे व स्वामित्व की भूमि को एक्वायर करके मात्र भूमि का ही मुआवजा तय किया है व उक्त भूमि में बने हुए टयूब बैल, टीन शेड, पक्की दीवार, हॉज आदि का व उसमें लगे हुए पत्थर कटिंग मशीन आदि का मुआवजा नहीं दिया गया है। जमीन का जो मुआवजा दिया गया है वो भी कम दिया गया है। इससे असंतुष्ट होकर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीग को तलब किया गया। भूमि अवाप्ति अधिकारी सिकराय से तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त की गई। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि ग्राम कैलाई तहसील सिकराय में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 106 प्रार्थी के कब्जे व स्वामित्व की भूमि में से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के फोरलेनीकरण हेतु 4299.78 वर्ग मीटर अवाप्त की गई है। उक्त भूमि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपयोग में आ रही थी। किन्तु भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा उक्त भूमि का मुआवजा वाणिज्यिक भूमि की दर से नही दिया गया, और अवाप्तशुदा भूमि पर निर्मित संरचनाओं ट्यूब बैल, टीन शेड, पक्की दीवार, हॉज आदि व उसमें लगे हुए पत्थर कटिंग मशीन आदि का मुआवजा भी नही दिया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 11.04.2009 के अनुसार भी खसरा नम्बर 106/7 ग्राम कैलाई में प्रार्थी की बोरिंग को लगभग 4 वर्ष पूर्व बनाया जाना तथा आईजेएम कम्पन्नी द्वारा इसका मुआवजा नही दिया गया होना तथा बोरिंग का सर्वे पूर्व में कम्पनी द्वारा कर लिया जाना व्यक्त करते हुए प्रार्थी को इसका मुआवजा दिया जाना उचित होना बताया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के कब्जे व स्वामित्व की एक्वायर की गई भूमि व उस पर निर्मित संरचनाओं का मुआवजा दिलाने के आदेश फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 11 के जयपुर–महवा खण्ड को चौडा करने हेतु भूमि अवाप्ति करने वास्ते भारत के राजपत्र में अधिसूचना दिनांक 12.5.2006 को जारी की गई। उक्त अधिसूचना में वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 106 राजस्व रिकार्ड में बारानी के रूप में अंकित थी। जिसमें से अवाप्तशुदा रकबा 4299.78 वर्गमीटर की मुआवजा राशि 7,65,017/– रू. व अवाप्तशुदा भूमि पर स्थित निर्माण इत्यादि की मुआवजा राशि 2,98,643/–रू. व 10 प्रतिशत अतिरिक्त सुखाचार राशि 1,06,366/–रू. कुल मुआवजा राशि 11,70,026/–रू. निर्धारित की गई। सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधि के प्रावधानों के तहत मुआवजा राशि निर्धारित की गई है। प्रार्थी ने गलत आधारों पर कृषि भूमि को वाणिज्यिक बताकर मुआवजा राशि प्राप्त करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि आधारहीन एवं राजस्व रिकार्ड के विरूद्ध है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3 ए अधिसूचना के बाद उक्त वादग्रस्त आराजीयात का सर्वे स्वतंत्र जांच एजेन्सी एवं राजस्व कर्मचारियों के माध्यम से करवाया गया है। जिसमें उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 106 वाके ग्राम कैलाई की किस्म बारानी पायी गई। सक्षम प्राधिकारी द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 106 के मुआवजा बाबत अवार्ड निर्धारित किया गया । उक्त अवार्ड सर्वे रिपोर्ट, राजस्व रिकार्ड, उप पंजीयक से प्राप्त डीएलसी दर के आधार पर निर्धारित किया गया है। सक्षम अधिकारी द्वारा तथ्यों, मौके की स्थिति व रेकार्ड के आधार पर मुआवजा राशि का अवार्ड आदेशित किया गया है। अवार्ड की राशि का भुगतान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा हितबद्ध व्यक्ति के नाम सक्षम अधिकारी को जमा करवा दिया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में दलील दी है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी(उपखण्ड अधिकारी) सिकराय की रिपोर्ट पत्रांकः 37 दिनांक 03.01.2017 के अनुसार तत्समय राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व कर्मियों द्वारा ग्राम कैलाई के खसरा नम्बर 106 किस्म बारानी प्रथम राजस्व रिकार्ड अनुसार होना बताया गया था। उक्त रकबे में 4299.78 वर्गमीटर भूमि राजमार्ग हेतु अवाप्त की गई थी। राजस्व रिकार्ड अनुसार खसरा नम्बर 106 किस्म बारानी प्रथम थी, राजस्व रिकार्ड एवं मौके सर्वे कर अवार्ड जारी किया गया है तथा विधिवत तय समय में आपत्तियों के निस्तारण पश्चात ही भूमि अवाप्ति का कार्य किया गया होना अंकित किया गया है। भूमि अवाप्ति अधिकारी सिकराय द्वारा पारित अवार्ड में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्राथना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह तथ्य स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अवाप्तशुदा भूमि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ होना तथा उक्त भूमि निर्मित संरचनाओं का मुआवजा नही दिया जाना व्यक्त किया गया है। किन्तु अवाप्तशुदा भूमि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन होने के संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये गये है। जबकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अवार्ड के अनुसार प्रार्थी को अवाप्तशुदा रकबा 4299.78वर्गमीटर की तत्समय प्रचलित कृषि भूमि की प्रचलित डी.एल.सी. दर के आधार पर देय मुआवजा राशि 7,65,017/—रू. व अवाप्तशुदा भूमि पर स्थित निर्माण इत्यादि की मुआवजा राशि 2,98,643/—रू. व 10 प्रतिशत अतिरिक्त सुखाचार राशि 1,06,366/—रू. कुल मुआवजा राशि 11,70,026/— रू. निर्धारित किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत यह तथ्य कि प्रार्थी को अवाप्तशुदा भूमि की किस्म वाणिज्यिक होना एवं उस पर निर्मित संरचनाओं का मुआवजा नहीं जाना निराधार होना प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। भूमि अविाप्ति अधिकारी सिकराय द्वारा पारित अवार्ड यथावत् रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार की जाकर बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 28.9.2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, दौसा